

FAX

पत्रांक -1आ0प्र0यो0-02/2011/...../आ0प्र0

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार,  
संयुक्त सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी,  
मुजफ्फरपुर।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- मोटरबोट की मरम्मत के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 32 मु0 दिनांक-27.05.2013 के प्रसंग में कहना है कि निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 251 दिनांक-03.08.2011 द्वारा जिलों को आपूर्ति किये गये एफ0आर0पी0 एवं इन्फ्लेटेबल मोटरबोटों के वार्षिक संपोषण एवं मरम्मत हेतु संबंधित आपूर्तिकर्ता से सीधे सम्पर्क किये जाने का निदेश दिया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतएव, अनुरोध है कि निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 251 दिनांक-03.08.2011 के आलोक में अपने स्तर से सीधे संबंधित आपूर्तिकर्ता से सम्पर्क कर मोटरबोटों की मरम्मत हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-


(अनिरुद्ध कुमार)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-..... 2306 /आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 18/6/18

प्रतिलिपि- सभी बाढ़ प्रवण जिलों के जिला पदाधिकारियों (मुजफ्फरपुर जिले को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव





पत्र संख्या :- 02/कृय-2-16/2009- 251

बिहार सरकार,  
जल संसाधन विभाग ।

Handwritten signature and date: 8/8/11, 1/8/11

Handwritten notes: Urgent, Sh. Sh. Zivam, 8/8

ई0 विमलेश कुमार झा,  
निदेशक,  
कृय, भंडार एवं भाग्यी प्रबंधन निदेशालय,  
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना,  
न्यू घरेक नं0-5, डार्टिंग रोड,  
पटना-800001.

जिला पदाधिकारी,  
बैशाली/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/सीतामढ़ी/  
शिवहर/पूर्वी चम्पारण/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/कटिहार/  
बेगूसराय/भागलपुर एवं कर्नाटिया ।

पटना, दिनांक- 3/8/11

विषय:-

आपूर्ति एफ0आर0पी0 एवं इनफ्लेटेबल मोटर बोटों के वार्षिक सम्पोषण के संबंध में ।

प्रांग:-

कृयादेश नं0-111 दिनांक-23.12.2009 एवं 112 दिनांक-14.1.2010

महाशय,

प्रांगाधीन कृयादेशों द्वारा आपके जिले में दो-दो एफ0आर0पी0 बोट एवं बैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर जिलों में आठ-आठ इनफ्लेटेबल मोटर बोटों एवं पूर्वी चम्पारण जिले में बार मोटर बोटों की आपूर्ति की गयी है । अन्य जिलों में इनफ्लेटेबल मोटर बोटों की आपूर्ति का मामला न्यायालय में लंबित रहने के कारण आपूर्ति का कार्य नहीं हो पाया है ।

कृयादेशों की प्रति पूर्ण में उपलब्ध करा दी गई है, जिसका कृया अमलोकन करना चाहेगें । कृयादेशों के शर्तों के अनुसार बोटों की वारंटी एवं वर्ष की थी, जो समाप्त हो चुकी है । कृयादेश के अनुसार आपूर्ति कर्ता के साथ दो वर्षों का वार्षिक सम्पोषण का एकरारनामा है, जिसे कृया कृयादेश के साथ संलग्न टर्म्स एवं कंडिशन की कंडिका 7 का अमलोकन करेगें, जिसके अनुसार वार्षिक सम्पोषण की राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद कृयादेश के साथ संलग्न निविदा सूचना के कंडिका 31 के आन्विक में आपके द्वारा किया जायेगा ।

एकरारनामा के शर्तों के अनुसार एफ0आर0पी0 मोटर बोट की दो वर्षों की सम्पोषण राशि प्रति बोट कुल 58000=00 रु एवं इनफ्लेटेबल मोटर बोट की दो वर्षों की सम्पोषण राशि प्रति बोट कुल 45000=00 रु है ।

एफ0आर0पी0 मोटर बोट के वार्षिक सम्पोषण एवं मरम्मत हेतु मैसर्स कलकत्ता स्पोर्ट्स बोट्स मैनु0 प्रा0 लि0, 31 अरौन्ज रोड, किद्वरपुर, कोलकाता-23 एवं इनफ्लेटेबल मोटर बोट की वार्षिक सम्पोषण एवं मरम्मत हेतु रक्षा गॉली कौल्स प्रा0 लि0, प्लोट नं0-5-17 टी0 ब्लॉक, एम0आई0डी0पी0 मोतारी, पूणे में सीधा सम्पर्क किया जा सकता है एवं इन कार्यालय को सूचना दी जा सकती है । सम्पोषण कार्य में अपूर्तिकर्ता द्वारा अक्रिची नहीं लेने पर अधोहरताधारी को सीधे सूचित किया जाय । बोटों के समुचित रख-रखाव भी सुनिश्चित किया जाय ताकि पार्टी की वारी एवं मिस हैंडलिंग के कारण बोटों में कोई खराबी न हो ने पावे ।

आपके धन्यवाद

152  
156

जिसकी जबाबदेही आपूर्तिकर्ता की नहीं होगी ।

यह सुचनार्थ एवं यथा अपेक्षित कार्रवाई हेतु संप्रेषित किया जाता है ।

विश्वास भाजन,

EO/-

§ विमलेश कुमार झा §,  
निदेशक

ज्ञापक:- 251

पटना, दिनांक- 3/8/11

प्रतिलिपि-श्री रामरूप सिंह, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।

3.8.11  
§ विमलेश कुमार झा §,  
निदेशक